भाग 4

3[सहकारी समितियों के सम्बन्ध में निर्वाचन नियम]

4[439. (1) उपविधियो में किसी बात के होते हुये भी, किसी सहकारी समिति या समतियों या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गो का निर्वाचन अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार होगा और उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट जहाँ समिति का मुख्यालय स्थित हो, नियत दिनांको को निर्वाचन कराने के लिए कार्यवाही करेगा, और इस प्रयोजन के लिये किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की सेवाओं की उसके द्वारा अध्यपेक्षा की जा सकती है और यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी के सम्बन्ध में ऐसा कोई आदेश जिला मजिस्ट्रट द्वारा जारी किया गया है तो उसका पालन न करना अपराध समक्षा जायेगा, जिसके दोष सिद्व होने पर जुर्माने से जो पाच सौ रूपये तक हो सकता है या कारावास से जो तीन माह तक हो सकता है या दोनो से दण्डनीय होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, लखनऊ की शाखाओं के सदस्यो के प्रतिनिधियों के निर्वाचन कराने का प्राधिकार उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट में निहित होगा, जॅहा ऐसी शाखा स्थित हो।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समितियों की स्थिति में जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार एक से अधिक जिल में हो, उस जिले से जो ऐसी समिति के कार्य क्षेत्र के भीतर पड़ता हो किसी सदस्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन आयोजित करने के प्राधिकार का प्रयोग सम्बद्व जिले के जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

(2) किसी सहकारी समिति या समितियों या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गो का

निर्वाचन ऐसे दिनांक को होगा, जिसे निबन्धक आदेश द्वारा नियत करे और सम्बद्व जिला मजिस्ट्रेट इस प्रकार नियत किये गये दिंनाक पर, इस प्रयोजन के लिए एक या अधिक निर्वाचन अधिकारी या समिति के भिन्न-भिन्न वर्ग या वर्गो के लिये या भिन्न- भिन्न क्षेत्रो के लिए भिन्न-भिन्न निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि उस विभाग का जो समिति के प्रबन्ध और प्रशासन से सम्बद्व हो, कोई अधिकारी निर्वाचन अधिकारी नियुक्त नही किया जायेगा।

1. अधिसूचना संख्या 3815/सी0-1-77-7(5), 1977 दिनांक 24 दिसम्बर 1977 के द्वारा रखे गये।

2. नियम 438-क अधिसूचना सं0 3849/49-1-98-7(11)-97 दिनांक 31 अक्टूबर 1998 द्वारा अन्तःस्थापित।

3. अधिसूचना संख्या 3849/49-1-98-7(11)-97 लखनऊ, दिनांक 31 अक्टूबर 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।

4. अधिसूचना संख्या 2700/49-1-94-7(1)-94 दिनांक 15.7.1994 द्वारा बदला गया।

.

(3) निर्वाचन अधिकारी ऐसे समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा जो इस नियमावली के अधीन उसे व्यादिष्ट किये जायें या उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रासंगिक या आवश्यक हों, किन्तु किसी निर्वाचन अधिकारी की अनुपस्थिति में कोई मतदान अधिकारी, जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, निर्वाचन अधिकारी के कार्यो का पालन करेगा।

(4) इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन

क्षेत्र के लिए ऐसे सरकारी सेवकों में से जो समितियों के प्रबन्ध और प्रशासन से सम्बन्ध न हो, निर्वाचन के संचालन में अपनी सहायता के लिए मतदान अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

(5) उपनियम(4) के अधीन रहते हुए निर्वाचन अधिकारी उतनी संख्या में मतदान अधिकारी नियक्त करेगा जितनी संख्या में मतदान केन्द्र/मतकक्ष (बूथ) हो और उनके लिए मत पेटियो, मत पत्रो, अन्तिम मतदाता सूची की एक प्रति और अन्य ऐसी अतिरिक्त वस्तुओं की व्यवस्था करेगा, जो निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक हो।

1[440.(1) उस वर्ष में जिसमें किसी सहकारी समिति का निर्वाचन किया जाना हो, उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट जिसमें समिति या समितियों का मुख्यालय स्थित हो, निबन्धक के आदेश के अधीन रहते हुये किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गो का निर्वाचन निम्न प्रकार से कराने की व्यवस्था करेगा -

(क) उन प्रारम्भिक समितियों से, जिनका कार्यक्षेत्र एक राजस्व जिले से अधिक जिले में हो, भिन्न प्रारम्भिक समिति की स्थिति में प्रबन्ध कमेटी, सभापति, उप-सभापति और अन्य समिति के सामान्य निकाय के प्रतिनिधि;

(ख) इस नियम के खण्ड (ग), (घ) और (ङ) में निर्दिष्ट क्रय-विक्रय समितियों, ब्लाक यूनियन और केन्द्रीय समितियों से भिन्न अन्य क्रय-विक्रय समितियों, ब्लाक यूनियन और केन्द्रीय समितियों की स्थिति में प्रबन्ध कमेटी, सभापति, उप-सभापति और दूसरी समिति के सामान्य निकाय के लिए प्रतिनिधि और ऐसी समितियों की स्थिति में जिसका कार्यक्षेत्र एक से अधिक राजस्व जिलों में हो और जिनमें अलग-अलग सदस्यों की सदस्यता हो, सामान्य निकाय के लिए अलग-अलग सदस्यो के प्रतिनिधि;

(ग) केन्द्रीय/जिला सहकारी बैंक से भिन्न अन्य जिला सहकारी फेडरेशन और अन्य

जिला स्तर की समितियों की स्थिति में, प्रबन्ध कमेटी सभापति, उप-सभापति और दूसरी समिति के सामान्य निकाय के लिए प्रतिनिधि,

(घ) जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थिति में प्रबन्ध कमेटी, सभापति, उप-सभापति और दूसरी समिति के सामान्य निकाय के लिए प्रतिनिधि और शीर्ष समितियों से भिन्न अन्य समितियों की स्थिति में, जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक राजस्व जिलों में हो, प्रबन्ध कमेटी, सभापति, उप-सभापति और दूसरी समिति के सामान्य निकाय के लिए प्रतिनिधि;

(ङ) किसी अन्य समिति की जिसमें राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति सम्मिलित है, प्रबन्ध कमेटी , सभापति, उप-सभापति और सामान्य निकाय के लिए शीर्ष समिति के प्रतिनिधिः

प्रतिबन्ध यह है कि उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट जिसमें उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, लखनऊ की शाखा/शाखायें या ऐसी समितियों का, जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक राजस्व जिले में है उप कार्यालय स्थित हो, ऐसी समितियों के सामान्य निकाय के सदस्यों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की व्यवस्था निबन्धक द्वारा विनिर्दिष्ट दिनांक को करेगा।

1. अधिसूचना संख्या 2700/49-1-94-7(1)-94 दिनांक 15.जुलाई 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) जिला सहायक निबन्धक या निबन्धक के अधीनस्थ उसके द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी ऐसी सहकारी समितियों के सम्बन्ध में जिनका मुख्यालय उस जिलें में स्थित हो, ऐसे प्रपत्र में एक रजिस्टर रखेगा जो निबन्धक द्वारा नियत किया जाये जिसमें सामान्य निकाय के प्रबन्ध कमेटी और समिति के प्रतिनिधियों के गठन से

सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।

(3) किसी सहकारी समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त ऐसी सूचना और विवरण निबन्धक या निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करे जिसकी वह समय-समय पर अपेक्षा करे।

(4) सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के या यथास्थिति, सहकारी समिति के सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ निबन्धक, समिति की उप-विधियों में किसी बात के होते हुए भी सहकारी समिति या यथास्थिति, सहकारी समिति के किसी वर्ग के निर्वाचन के लिए नियम 441 के उपनियम (2) के अधीन नोटिस जारी करने के पूर्व अनन्तिम रूप से निम्नलिखित बातों का अवधारण करेगा-

(क) निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जिनमें समिति का कार्य-क्षेत्र विभाजित किया जायेगा,

(ख) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार,

(ग) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवण्टित स्थानों की संख्या,

(घ) निर्बल वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या।

(5) तदुपरान्त निबन्धक उपनियम (4) के अधीन आपत्तिया आमन्त्रित करने के लिये किये गये अन्तिम अवधारण को किसी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा, जिसे ऐसे प्रकाशन के दिनांक से सात दिन के भीतर किया जा सकेगा उसकी एक प्रतिलिपि सम्बद्ध समिति को भी टीका-टिप्पणी के लिए भेजी जायेगी।

(6) निर्वाचन क्षेत्र के अवधारण का मानदण्ड निम्नलिखित एक या अधिक आधार हो सकता है, अर्थात -

(1) राजस्व क्षेत्र

(2) सदस्यता का/के वर्ग

(3) समिति के कार्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में अन्य तर्क संगत आधार:

प्रतिबन्ध यह है कि प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति की स्थिति मे, अवधारण की इकाई यथा सम्भव, समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली एक या अधिक गाव सभा होगी।

(7) उपनियम (5) के अधीन प्राप्त आपत्तियो और टिप्पणियों पर निबन्धक द्वारा ऐसे प्रकाशन के तेरहवें दिन विचार किया जायेगा ओर तदुपरान्त वह निर्वाचन क्षेत्रो, स्थानों की कुल संख्या और उपनियम (4) के खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट निर्बल वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या अन्तिम रूप से अवधारित करेगा।

(8) उपनियम (7) के अधीन निर्वाचन क्षेत्रों का अन्तिम अवधारण ऐसे प्रकाशन के चौदहवें दिन स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जायेगा और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बद्व समिति और सम्बद्व जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जायेगी।

(9) जहॉ अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) या उपधारा (1-क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशन किये जाने के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का पुनः अवधारण आवश्यक हो, वहॉ निबन्धक उस समय जब प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन किया जाना हो,

इस नियम में निर्धारित रीति से निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः अवधारण करेगा।

441.(1) निर्वाचन अधिकारी अपनी अधिकारिता के किसी क्षेत्र या क्षेत्रों की समितियों के किसी वर्ग या वर्गो की या सहकारी समितियों के किसी समूह (ग्रूप) या समूहों के निर्वाचन का/के दिनांक स्थानीय समाचार -पत्र में अधिसूचित करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी मतदान के दिनांक से तीस दिन से अनधिक और कम से कम पन्द्रह दिन की नोटिस निम्नलिखित को देगा जिसमें उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना दी जायेगा।

(1) अलग-अलग सदस्यों को या तो सामान्य निकाय में अलग-अलग सदस्यों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की स्थिति में या ऐसी सहकारी समितियों में जिनका अलग-अलग सदस्यों का सामान्य निकाय हो, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन की स्थिति में,

(2) प्रतिनिधियों को ऐसी समितियों की स्थिति में जिनके सामान्य निकाय में, यथास्थिति अलग-अलग सदस्यों या समिति के सदस्यो के प्रतिनिधि सम्मिलित हों,

(3) अलग-अलग सदस्यों और समिति के सदस्यों के प्रतिनिधियों को ऐसी समितियों की स्थिति में जिनके सामन्य निकाय में निम्नलिखित एक या अधिक प्रकार से अलग-अलग सदस्यो और समिति के सदस्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों अर्थात-

(क) व्यक्तिगत रूप से अभिस्वीकृति लेकर परिदत्त करके,

(ख) डाक द्वारा प्रेक्षण प्रमाण-पत्र लेकर,

(ग) डुग्गी पीटकर प्रख्यापन द्वारा,

(घ) स्थानीय सामाचार-पत्र के माध्यम से प्रकाशन द्वाराः

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (2) या (3) के अन्तर्गत आने वाली समितियों की स्थिति में निर्वाचन की नोटिस और कार्यक्रम मतदान के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व ऐसे स्थानीय समाचार-पत्र में भी जिसका समिति के कार्यक्षेत्र में परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

1[(3) निर्वाचन अधिकारी, समिति के सूचना पट्ट पर निम्नलिखित निर्वाचन कार्यक्रम प्रदर्शित करेगा -

(1) अनन्तिम मतदाता सूची के प्रदर्शन का दिनांक,

(2) आपत्तियो दाखिल करने और उनके निस्तारण का दिंनाक, समय और स्थान,

(3) अन्तिम मतदान सूची के प्रदर्शन का दिनांक,

(4) नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने का दिनांक, समय और स्थान,

(5) नाम-निर्देशन पत्रों के परिनिरीक्षण का दिनांक, समय और स्थान,

(6) नाम-निर्देशन पत्र वापस लेने का दिनांक, समय और स्थान,

(7) निर्वाचन चिन्ह आंवटित करने और अंतिम नाम-निर्देशन प्रदर्शित करने का दिनांक, समय और स्थान,

(8) मतदान का दिनांक समय और स्थान:

प्रतिबन्ध यह है कि मतदान का स्थान समिति का कार्यालय या मुख्यालय होगा। परन्तु उन कारणों से जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे वह समिति के कार्यालय या मुख्यालय में यथासभंव निकट कोई सार्वजनिक स्थान हो सकता है और कार्यक्रम की नोटिस में उल्लिखित किया जोयगा,

1. अधिसूचना संख्या 2497/49-1-2000-7(10)-95 टी0सी0 दिनांक 19. अक्टूबर 2000 द्वारा प्रतिस्थापित।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि नियम 84-क के उपनियम (4) में यथा उल्लिखित समिति के प्रतिनिधियों, सदस्यों के चुनाव के मामले में मतदान का स्थल समिति के कार्यालय या मुख्यालय या शाखा के अतिरिक्त कोई अन्य सार्वजनिक स्थान जैसा कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवधारित किया गया हो भी हो सकता हैं

(9) वह स्थान जहॉ मतदाता द्वारा मतदाता सूची का निरीक्षण किया जा सकता है,

(10) निर्वाचन क्षेत्रों के नाम जिसमें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी सम्मिलित है और निर्वाचन किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या

(4) सम्बद्व समिति का सचिव/प्रबन्ध निदेशक-

(1) उन समितियों की स्थिति में जिसके सामान्य निकाय में अलग-अलग सदस्य हों या

उन समितियों की स्थिति में जिनके सामान्य निकाय में अलग-अलग सदस्यों के प्रतिनिधि हो, और

(2) उन समितियो की स्थिति में जिनके सामान्य निकाय में अलग-अलग सदस्य और समिति सदस्य सम्मिलित हो,

अलग-अलग सदस्यों की एक सूची तीन प्रतियों में तैयार करायेगा जिसमें उस दिनांक को निबन्धक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, समिति की पुस्तिकाओं में अकिंत नाम, पिता का नाम, पता, अनर्हता, यदि कोई हो, दिखाया जायेगा (जिसे आगे अन्तिम सूची कहा गया है) और वह सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी-

(क) प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों की स्थिति में गाव सभावार,

(ख) नगर क्षेत्रों में प्रारम्भिक उपभोक्ता समिति की स्थिति में मोहल्लावार/वार्डवार और नगर क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रां में निबन्धक के निदेशानुसार,

(ग) अन्य समिति की स्थिति में निर्वाचन क्षेत्रवार या किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर जो निबन्धक द्वारा विनिश्चिय किया जाये, और उसे खण्ड (1) के अन्तर्गत आने वाली समिति की स्थिति में निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी सहकारी समिति की स्थित में जिसकी सदस्य अन्य समितियॉ या खण्ड (2) के अन्तर्गत आने वाली समितियॉ हों ऐसी सूची समिति निर्वाचन प्रतिनिधियों के नाम सहित या यदि निर्वाचन प्रतिनिधियों के नाम मतदाता सूची प्रकाशित होने के पूर्व न प्राप्त हुये हों तो वर्तमान प्रतिनिधियों के नाम सहित निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक लिमिटेड, लखनऊ की शाखाओं या ऐसी समितियों के उपकार्यालयों की स्थिति में जिनका कार्यक्षेत्र एक से

अधिक राजस्व जिले में हो और जिसकी सदस्यता में अलग-अलग सदस्य हो एसी सूची, यथास्थिति, सम्बद्व शाखा के शाखा प्रबन्ध या उपकार्यालय के प्रभारी द्वारा तैयार की जायेगी और निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(5) निर्वाचन अधिकारी मतदान के दिनांक के पूर्व जिले में स्थित समिति के मुख्यालय में और अन्य मामलों के शाखाओं के कार्यालय में अनन्तिम मतदाता सूची प्रदर्शित करेगा।

(6) अन्तिम मतदाता सूची के सम्बद्व में, आपत्तियॉ, यदि कोई हो, निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत दिनांक, समय और स्थान पर सुनी जायेगी और उनका विनिश्चित किया जायेगा।

(7) मतदाता सूची निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैयार कराई जायेगी और उसे निर्वाचन स्थान और समिति के मुख्यालय में, यदि जिले में स्थित हो, और अन्य स्थिति में समिति की शाखा या उप-कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा। मतदाता सूची की एक प्रति निबन्धक को भी भेजी जायेगी। मतदाता सूची निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत मूल्य भुगतान करने पर विक्रय के लिए, यथास्थिति, समिति या शाखा के कार्यालय में भी उपलब्ध कराई जायेगी।

1[442. 2[(1) कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित फीस देकर नाम निर्देशन प्रपत्र (प्रपत्र "ट") निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकता है:

(क) प्रारम्भिक समितियों की स्थिति में जिसमें उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखायें भी सम्मिलित है, एक सौ रूपये,

(ख) जिला सहकारी बैंक से भिन्न केन्द्रीय समितियों और क्रय-विक्रय समितियों की स्थिति में दो सौ पचास रूपये,

(ग) शीर्ष समितियों और जिला सहाकारी बैंक की स्थिति में पाच सौ रूपये,

(घ) अन्य समितियों की स्थिति में दो सौ रूपये

(2) उपनियम (1) के अधीन प्राप्त फीस निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहकारी बैंक में खोले गये जिला सहकारी निर्वाचन खातें में जमा की जायेगी, जिसका विवरण निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला सहायक निबन्धक को निर्वाचन परिणाम के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचन में नाम पत्र निर्देशन दाखिल नही करेगा, यदि-

(1) वह मतदान के लिए पात्र न हो,

(2) वह अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन अनर्ह हो।

(4) नाम-निर्देशन के लिए प्रस्ताव प्रपत्र "ट" में निर्वाचन अधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा। नाम-निर्देशन के सम्बन्ध मे आपत्ति भी उसे सम्बोधित की जायेगी और ऐसी आपत्ति किसी मतदाता द्वारा ही की जाना चाहिये।

(5) उम्मीदवार अपना नाम-निर्देशन व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसकी प्रविष्टि एक रजिस्टर में, नितान्त कालानुक्रम में की जायेगी और वह उसकी प्राप्ति भी स्वीकार करेगा, यदि मांगी जायेः

प्रतिबन्ध यह है कि नाम-निर्देशन का प्रस्तावक और अनुमोदक उम्मीदवार से भिन्न कोई अन्य मतदाता होगा।

(6) रजिस्टर में निम्नलिखित बातें प्रदर्शित की जायेंगी -

(1) उम्मीदवारो का नाम ;

(2) प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम ;

(3) नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त होने का दिनांक, समय और उस पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जोयगा।

(7) निर्वाचन अधिकारी, नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने का समय समाप्त हो जाने के पश्चात रजिस्टर में अन्तिम नाम-निर्देशन पत्र की प्रविष्टि के नीचे एक बड़ी रेखा खीचेगा, उसके नीचे शब्द (नाम-निर्देशन समाप्त) लिखेगा और समय सहित अपना हस्ताक्षर करेगा। नाम-निर्देशन की एक सूची, समय समाप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, समिति की सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित की जोयगी।

(8) निर्वाचन अधिकारी नाम-निर्देशन पत्रों की परिनिरीक्षा का कार्य वर्णमाला क्रम में विनिर्दिष्ट दिनांक को करेगा और उम्मीदवार/उसका प्रस्तावक या अनुमोदन परितिरीक्षा के समय उपस्थित रह सकता है।

1. अधिसूचना संख्या 2700/49-1-94-7(1)-94 दिनांक 15.7.1994 द्वारा बदला गया।

2. अधिसूचना संख्या 3849/49-1-98-7(11)-97 लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।

(9) नाम-निर्देशन की परिनिरीक्षका करते समय निर्वाचन अधिकारी -

(क) नाम-निर्देशन पत्रो के नाम या संख्या के सम्बन्ध में किसी लिपिकीय भूल को मतदाता सूची में समनुवर्ती प्राविष्टियों के अनुरूप करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है।

(ख) जहॉ आवश्यक हो, वहा वह निर्देश दे सकता है कि उक्त प्रविष्टियों पर ध्यान न दिया जाये।

(10) परिनिरीक्षा के समय, निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम-निर्देशन पत्र पर उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के सम्बन्ध में विनियम पृष्ठाकिंत करेगा। अस्वीकार किये जाने

की स्थिति में वह ऐसे अस्वीकरण के लिए अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण अभिलिखित करेगा जिस उम्मीदवार का नाम-निर्देशन अस्वीकार किया जाये, वह निर्वाचन अधिकारी को पांच रूपये की फीस देकर जो उस धनराशि की सम्बद्व समिति में जमा कर देगा, अस्वीकरण आदेश की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है।

(11) नाम-निर्देशन वापस लेने के लिए आवेदन पत्र नियत पपत्र में केवल सम्बद्व उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन अधिकारी को दिया जायेगा।

(12) जहॉ निर्वाचन अधिकारी नाम-निर्देशन वापस लेने के पश्चात नाम-निर्देशन को अन्तिम रूप दे दे, जहॉ वह निबन्धक द्वारा अनुमोदित चिन्ह् की सूची से एक चिन्ह्/ चिन्ह के उसी क्रम में जिस क्रम में वह अनुमोदित सूची में इंगित किया गया है, प्रत्येक विधिमान्य नाम-निर्देशन के लिए आवन्टित करेगा और यदि विधिमान्य नाम-निर्देशन की संख्या निबन्धक द्वारा आनुमोदित चिन्ह्की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन अधिकारी कोई अन्य चिन्ह आवन्टित कर सकता है जो निबन्धक द्वारा अनुमोदित चिन्हो से भिन्न, किन्तु उससे साम्य रखता हो। इस प्रकार आवन्टित चिन्ह् सम्बद्व उम्मीदवार के लिए बन्धनकारी होगा।

(13) अन्तिम नाम-निर्देश़नों की सूची जिसमें उम्मीदवारो से नाम उनके अपने-अपने चिन्ह और नाम निर्देशन पक्षों में दिये गये पतों सहित वर्णमाला क्रम में दिये गये होंगे, मतदान के दिनांक के पूर्व समिति के मुख्यालय पर, यदि जिले में स्थित हो, और अन्य स्थिति में शाखा के कार्यालय पर प्रदर्शित की जायेगी।

1[443.(1) जहॉ विधिमान्य नाम-निर्देशन की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक न हो, वहा निर्वाचन अधिकारी उन्हे सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ किसी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधि मान्य नाम निर्देशनों की संख्या उस क्षेत्र से निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर हो, और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में विधि मान्य नाम-निर्देशनों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो, वहॉ निवार्चन अधिकारी उस निर्वाचन क्षेत्र का जिसमें नाम-निर्देशन निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर प्राप्त हुये हो, परिणाम घोषित करेगा।

(2) जहा विधिमान्य नाम-निर्देशनों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक हों, वहां निर्वाचन अधिकारी नियत दिनांक को मतदान कराने का प्रबन्ध करेगा।

(3) प्रत्येक मतदाता को एक शलाका-पत्र दिया जायेगा जो या तो निबन्धक के निदेशानुसार मुद्रित, टंकित या साइक्लोस्टाइल किया हुआ या हस्तलिखित होगा जिस पर हिन्दी वर्णानुक्रम के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के हस्तलिखित/मुद्राकिंत नाम जिस पर उनके नाम के सामने चिपकाया गया, मुद्रित, स्याही से खींचा गया या मुहर लगा हुआ उनका (चुनाव) चिन्ह् होगा। इसमें एक खाली स्तम्भ मतदाता द्वारा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के नाम के सामने जिन्हें वह मतदान करना चाहें एक चिन्ह् (X) अंकित करने के लिए भी होगा।

1. नियम 443(1) अधिसूचना संख्या 719एम0/49-1-95-7(10)/95, दिनांक 16.11.95 द्वारा बदला गया।

(4) शलाका-पत्र क्रमांकित होंगे और उन पर समिति की मुहर और सम्बद्व मतदान केन्द्र के निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर भी होंगे।

(5) मतदान गुप्त शलाका-पत्र द्वारा होगा; मतदाता उस उम्ममीदवार के नाम के सामने जिसे वह मतदान करना चाहता है, एक क्रास का चिन्ह् (X) लगायेगा और तदुपरान्त शलाका-पत्र को गुप्त रूप से शलाका पेटी में डाल देगा।

(6) प्रत्येक मतदाता के उतने मत होंगे जितने व्यक्तियों का निर्वाचन किया जाना है किन्तु कोई मतदाता किसी एक उम्मीदवार को एक से अधिक मत नही देगा।

(7) निर्वाचन लड़ने वाला कोई उम्मीदवार या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता शलाका-पत्र जारी पत्र जारी किये जाने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक आपत्ति के लिए एक रूपये की फीस देकर मतदाता के अभिज्ञान के सम्बन्ध में आपत्ति कर सकता है।

(8) निर्वाचन अधिकारी आपत्ति की संक्षिप्तः जॉच करेगा और यदि ऐसी जॉच के पश्चात् उसकी यह राय हो कि आपत्ति प्रमाणित नही होती है तो वह आपत्तिकृत व्यक्ति को शलाका-पत्र देगा जिसके पृष्ठ पर निर्वाचन अधिकारी अपनी हस्तलिपि में शब्द "आपत्तिकृत मत" पृष्ठांकित करेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(9) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उपनियम (3) के अधीन शलाका-पत्र दिये जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्ट के सामने अपना हस्ताक्षर करेगा या यदि वह निरक्षर हो तो अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

(10) उपनियम (8) के अधीन शलाका-पत्र प्राप्त होने पर सम्बद्व व्यक्ति शलाका-पत्र पर उस उम्मीदवार के सामने जिसे वह मत देना चाहता है, गुप्त रूप से क्रास (X) लगाकर अपना मत अभिलिखित करेगा और शलाका-पत्र निर्वाचन अधिकारी को देगा जो उसे तुरन्त इस प्रयोजन के लिए रखे गये लिफाफे में रखेगा।

(11) यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वंय को मतदाता सूची में दिये गये किसी विशिष्ट मतदाता के रूप में बताये ऐसे मतदाता के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात

शलाका-पत्र के लिये आवेदन करता है तो उसे निर्वाचन अधिकारी को अपने पहिचान के समबन्ध में समाधान करने के पश्चात् एक शलाका-पत्र दिया जायेगा जिसके पृष्ठ पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनी हस्तलिपि में शब्द "निविदत्त शलाका-पत्र" पृष्ठाकिंत किया जायेगा और हस्ताक्षर किया जायेगा।

(12) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, निविदत्त शलाका-पत्र दिये जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र मे एक सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविशिष्ट के सामाने हस्ताक्षर करेगा या यदि वह निरक्षर हो तो अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

(13) उपनियम (11) के अधीन शलाका-पत्र प्राप्त होने पर वह व्यक्ति निविदत्त शलाका-पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने जिसे वह मत देना चाहता है गुप्त रूप से क्रास चिन्ह (ग) लगाकर अपना मत अभिलिखित करेगा और निविदत्त शलाका-पत्र निर्वाचन अधिकारी को देगा जो उसे तुरन्त इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में रखेगा।

444. (1) मतदान समाप्त होने के पश्चात् तुरन्त मतों की गणना की जायेगी, और यदि मतदान समाप्त होने के पश्चात् तुरन्त मतगणना करना सम्भव न हो तो मत पेटिया निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुहरबन्द कर दी जायेगी और निकटस्थ पुलिस थाने में निरापद अभिरक्षा में रखी जायेंगी। उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता भी अपनी मोहर, यदि चाहे, लगा सकता है।

(2) कोई शलाका-पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा, यदि-

(1) उस पर मतदाता की पहचान के लिये कोई हस्ताक्षर हो,

(2) उस पर समिति की मुहर और सम्बद्व मतदान केन्द्र के निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर न हो,

(3) उस पर मतदान इंगित करने का कोई चिन्ह् न हों।

(4) उस पर भरे जाने वाले स्थान/स्थानों की संख्या के चिन्ह् हों।

(3) यदि किसी शलाका-पत्र पर उम्मीदवार या उम्मीदवारों के लिए चिन्ह् इस प्रकार हो जिससे यह स्पष्ट न हो कि किन उम्मीदवारों को मत दिया गया है तो उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी, गणना पूरी हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या बताते हुय परिणाम की घोषणा करेगा।

(5) बराबर-बराबर मत होने की स्थिति में मामले का निर्धारण पर्चा डालकर किया जायेगा।

(6) निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची समिति के सूचना पट्ट पर और ऐसे सार्वजनिक स्थान पर भी जिसे वह उचित समझे, प्रदर्शित करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैक लिमिटेड, लखनऊ या ऐसी समितियों की स्थिति में जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक जिले में हो, सूची का प्रर्दशन ऐसी समिति के शाखा कार्यालय या उप कार्यालय में किया जायेगा।

(7) उपनियम(6) के अधीन तैयार की गई सूची की एक प्रतिलिपि सम्बद्व जिला सहायक निबन्धक या नियम 440 के उसे नियम (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को और सम्बद्व समिति के सचिव/निबन्धक निदेशक को भी भेजी जायेगी।

(8) निर्वाचन सम्बन्धी प्रयुक्त शलाका-पत्र और अन्य अभिलेख किसी लिफाफे या आधान (कन्टेनर) में रखे जायेगें और निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी उन्हें मुहरबन्द करेगा। यदि कोई उम्मीदवार चाहे तो वह भी उस पर अपनी मुहर लगा सकता है। निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी इस प्रकार मुहरबन्द लिफाफा या अधान को

समिति के सचिव प्रबन्ध निदेशक को सौंप देगा जो उसकी प्राप्ति स्वीकार करेगा और यदि निर्वाचन के समबन्ध मे कोई विवाद निबन्धक को निर्दिष्ट न किया जाये तो दो मास तक उसकी निरापद अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा।

(9) किसी सहकारी समिति या किसी वर्ग या वर्गो की सहकारी समितियों के निर्वाचन कराने की व्यय की धनराशि निबन्धक द्वारा विशेष या सामान्य आदेश से अवधारित की जायेगी और यह धनराशि उस समिति द्वारा, जिसका निर्वाचन किया जाना हो, अपनी निधि से देय होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी और निर्वाचन दल के अन्य सदस्यों को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता समिति की निधि से देय न होगा।

(10) सम्बद्व समिति का सचिव प्रबन्ध निदेशक, निबन्धक के निदेश पर समिति के निर्वाचन के साथ में उपगत व्यय के सम्बन्ध में भूगतान करेगा ऐसा न करने पर धनराशि निबन्धक द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र पर सम्बद्व समिति से भू-राजस्व की बकाया की भॉति वसूल की जायेगी।

टिप्पणियॉ

नियम 439(iii) तथा 444 (v) -निर्वाचन अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कृत्य (Function) -अब यह देखना है कि यदि नियम में इस रीति का उपबन्ध नही किया गया है कि लाटों को निकालने के पश्चात् निर्णय कैसे लिया जायेगा, तो मतों के बराबर होने की दशा में निर्णय पर पहुचने में आया संयोग का तत्व (Element of chance) कम हो

जाता है। इस पर कोई विवाद नही है कि लाटें निकाल कर किसी निर्णय पर पहुचने में केवल दो रीतियों का प्रयोग किया जा सकता है। वह या तो यह हो सकती है कि उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में लाटें निकाली जायें, निर्वाचित घोषित कर दिया जाये, या उसको उसमें से अलग कर दिया जाये। किसी भी दृष्टि से यह नही कहा जा सकता कि पूर्वोक्त प्रक्रिया में से किसी एक का अनुसारण किये जाने पर संयोग का तत्व किसी भी प्रकार घट जाता है, या किसी भी एक प्रत्याशी पर किसी भी प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दर्शाये गये विभिन्न अधिनियमों के उपबन्धों से स्वयं ही यह पता लगता है कि किन्ही अधिनियमों में यह प्राविधान किया गया है कि उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में लाटें निकाली जायें, निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा, जब कि उ0प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961, में यह प्राविधान किया गया है कि उस व्यक्ति के विषय में जिसके पक्ष में लाटें निकाली जायें यह समझा जायेगा कि वह निर्वाचन से अलग कर दिया गया है। प्रस्तुत मामले में, यह निर्विवाद ही है कि लाटें निकालने से पूर्व निर्वाचन अधिकारी ने यह घोषणा कर दी थी कि उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में लाटें निकाली जायेंगी, निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा। इसलिय यह स्पष्ट ही है कि लाटे निकालने से पूर्व दोनो में से किसी भी पक्षकार के पक्ष में जीतने की सम्भावना थी, क्योंकि किसी को यह ज्ञात नही था कि किसके पक्ष में लाटें निकाली जायेगी। यदि ऐसा है, तो इसका प्राविधान न किया जाना कि आया वह व्यक्ति जिसके पक्ष में लाटें निकाली जायें, सफल अथवा असफल घोषित किया जायेगा, लाटें निकालने की प्रक्रिया का कोई ऐसा भाग नही है कि उसके लिए स्वयं नियम में प्राविधान किया ही जाये। नियम की योजना यह अपेक्षा करती है कि निर्वाचन मे अन्तिम निर्णय लेने की प्रक्रिया को निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूरा किया जाना है। लाटें उसे ही निकालना होगा। नियम

439(iii) विनिर्दिष्ट रूप से निर्वाचन अधिकारी को समस्त ऐसे कृत्यों का पालन करने की शक्ति प्रदान करता है जो नियमों द्वारा उस पर अधिरोपित किये जायें, अथवा जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन से आनुषंगिक हों अथवा उसके लिए जरूरी हों। लक्ष्मीचन्द्र बनाम मीवाना सहकारी समिति पन्ना का विकास समिति लि0 मीवाना, उसके सचिव के माध्यम से तथा अन्य 1989(2) इला0 डब्ल्यू0सी0 1116, पृष्ठ 1119: 1989 इला0 एल0 आर0 833।

1[444क. (1)(क) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की संख्या अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार अवधारित की जायेगी। कोई सहकारी समिति अपनी प्रबन्ध कमेटी में उतने सदस्य निर्वाचित करेगी जितने के लिए अधिनियम नियमों या समिति के उपविधियों में व्यवस्था की गई हो।

(ख) किसी विशिष्ट क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र या सदस्यों के वर्ग से प्रबन्ध कमेटी के लिए या समिति के सामान्य निकाय के प्रतिनिधि का निर्वाचन लड़ने वाला कोई व्यक्ति, यथास्थिति, उस क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्र या सदस्यों के वर्ग के सामान्य निकाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि क्रय-विक्रय समिति/जिला थोक उपभोक्ता स्टोर की स्थिति में समिति के अलग-अलग सदस्य और प्रतिनिधि प्रबन्ध कमेटी मे, अपने सम्बन्धित सदस्यों का निर्वाचन पृथक-पृथक रूप में करेंगं।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी किसी प्रारम्भिक उपभोक्ता समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य सामान्य निकाय के सदस्यों द्वारा सयुक्त रूप से निर्वाचित किये जायेंगे।

(3) निबन्धक अथवा प्राधिकृत अधिकारी नियम 440 के उपनियम (6) के उपबन्धों के

अधीन निर्बल वर्ग के लिये निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रो को आरक्षित करेगा और ऐसा आरक्षण उन निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रो के जहॉ से प्रबन्ध कमेटी के सदस्यो का निर्वाचन किया जाना है, नामों के हिन्दी वर्णमाला के क्रम में रखकर चक्रानुक्रम द्वारा उस सीमा तक किया जायेगा, जहा तक स्थान आरक्षित हो ।

1. अधिसूचना संख्या 2700/49-1-94-7(1)-94 दिनांक 15.7.1994 द्वारा बदला गया।

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को क्रमशः अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जन-जातियों और नियम 393 के अपनियम (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गो और महिलाओं को हिन्दी वर्णानुक्रम में आवंटित किया जायेगा। अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रो के नाम का प्रथम अक्षर एक समान हो वहॉ ऐसे मामलों में आरक्षण ऐसे निर्वाचन क्षेत्रो के नाम के अगले अक्षर द्वारा विनियमित किया जायेगा।

(4) (क) क्रय-विक्रय प्रकिया समिति की प्रबन्ध कमेटी मे निम्नलिखित होगे-

(1) सदस्य समिति से दस प्रतिनिधि, यदि कमेटी के अलग-अलग सदस्य प्रतिनिधि तीन हो:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कमेटी मे अलग-अलग सदस्यों के प्रतिनिधियों की संख्या कम हो जाती हो तो कमेटी में सदस्य समितियों के प्रतिनिधियों की संख्या में उस सीमा तक वृद्वि हो जायेगी जिस सीमा तक कमेटी में अलग-अलग सदस्यों के प्रतिनिधियों की कमी हो ;

(2) अलग-अलग सदस्यों के उतने प्रतिनिधि जितने इस नियम के उपनियम(5) में दिये

गये है, किन्तु तीन से अधिक न हो,

(3) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो व्यक्ति यदि राज्य सरकार अंशधारी हो, यदि राज्य सरकार अशंधारी न हो तो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले व्यक्तियों के स्थान निर्वाचित प्रतिनिधियों को आंवटित कर दिया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि सदस्य समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्थिति में दो स्थान और अलग-अलग सदस्यों के प्रतिनिधि की स्थिति में एक स्थान, यदि अलग-अलग सदस्यों का प्रतिनिधित्व एक से अधिक हो, निर्बल वर्ग के लिए आरक्षित होगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि सदस्य समितियों में से आरक्षित स्थानों की संख्या उतनी बढ़ जायेगी जितनी अलग-अलग सदस्यो के लिए आरक्षित स्थानों में कमी होती है।

(ख) जिला थोक उपभोक्ता स्टोर को छोड़कर जिला सहकारी फेडरेशन/जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक में निम्नलिखित होंगे-

(1) सदस्य समितियों के ग्यारह प्रतिनिधि:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अलग-अलग सदस्यों के प्रतिनिधियों की संख्या शून्य हो जाये या कम हो जाये तो कमेटी में सदस्य समिति के स्थान की संख्या उतनी बढ़ जायेगी जितने अलग-अलग सदस्यों के स्थानों मे कमी होती है।

(2) अलग-अलग सदस्यों के दो प्रतिनिधि,

(3) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो व्यक्ति यदि राज्य सरकार अंशधारी हो, यदि राज्य सरकार अंशधारी न हो तो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए स्थान निबन्धक के निर्देशानुसार प्रबन्ध कमेटी के अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को आवंटित कर दिया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि निर्बल वर्ग के लिए कम से कम तीन स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

(ग) जिला थोक उपभोक्ता स्टोर में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

(1) अलग-अलग सदस्यों के सात प्रतिनिधि,

(2) सदस्य समितियो के छः प्रतिनिधि,

(3) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो व्यक्ति यदि राज्य सरकार अशंधारी हो, यदि राज्य सरकार अंशधारी न हो तो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए स्थान निबन्धक के निदेशानुसार प्रबन्ध कमेटी के अन्य प्रतिनिधि को आवंटित कर दिया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अलग-अलग सदस्यों की स्थिति में तीन स्थान और प्रारम्भिक समितियों के प्रतिनिधियों की स्थिति में दो स्थान महिलाओ के लिए आरक्षित होंगे।

(5)(1) क्रय-विक्रय समिति,

(2) ब्लाक यूनियन,

(3) जिला सहकारी फेडरेशन, और

(4) जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक के अलग-अलग सदस्य अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन होंगे और अपनी-अपनी समितियो का प्रतिनिधत्व प्रबन्ध कमेटी में निम्नलिखित रूप में करेगें-

(1) एक प्रतिनिधि, यदि सदस्यता 100 या उससे कम है,

(2) दो प्रतिनिधि, यदि सदस्यता 100 से अधिक किन्तु 500 से अधिक नही है, और

(3) तीन प्रतिनिधि, यदि सदस्यता 500 से अधिक है:

प्रतिबन्ध यह है कि जिला/केन्द्रीय सहकारी बैक, जिला सहकारी फेडरेशन की प्रबन्ध कमेटी में अलग-अलग सदस्यों के प्रतिनिधियों की कुल संख्या दो से अधिक नही होगी।

(6) ऐसी समितियों का जो उपनियम (1) के अधीन न आती हो और जिनमें अलग-अलग

सदस्य हो, प्रबन्ध कमेटी प्रतिनिधित्व समिति की उपविधियों के अनुसार या यदि समिति की उपविधियों में इस सम्बन्ध मे कोई उपबन्ध न हो तो निबन्धक के निर्देशानुसार होगा।

1[(7) उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक से भिन्न शीर्ष समिति की प्रबन्ध कमेटी में निम्नलिखित होंगे-

(क) सदस्य समतियों के चौदह प्रतिनिधि जिनमें से तीन प्रतिनिधि निर्बल वर्ग और महिलाओं में से होगें।

(ख) धारा 34 के उपबन्धों अधीन रहते हुए राज्य सरकार के दो नाम निर्दिष्टी, यदि राज्य सरकार अशंधारी हो।

(ग) सहकारी समिति को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे वित्तीय संस्थान का एक प्रतिनिधि जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाये।

(8) उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की प्रबन्ध कमेटी में निम्नलिखित होंगे -

(क) अलग-अलग सदस्यों के चैदह प्रतिनिधि जिनमें से तीन प्रतिनिधि निर्बल वर्ग और महिलाओं में से होगे।

(ख) धारा 34 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार के दो नाम निर्दिष्ट, यदि राज्य सरकार अंशधारी हो।

(ग) सहकारी समिति को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे वित्तीय संस्थान का एक प्रतिनिधि जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाये।,

1. नियम 444-क में उपनियम(7)और (8) अधिसूचना संख्या 719 एम0/49-1-95-7(10)/95, दिनांक 16.11.95 द्वारा बदला गया।

1[सभापति और उप-सभापति का निर्वाचन

444ख.(1) सभापति, उप-सभापति और अन्य पदाधिकारियों के, यदि कोई हो निर्वाचन के प्रयोजनार्थ सम्बद्व समिति का निर्वाचन अधिकारी सम्बद्व समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन फल की घोषणा के पश्चात् यथाशीघ्र समिति के सचिव/प्रबन्धक निदेशक के परामर्श से सम्बद्व कमेटी के सदस्यों की पहली बैठक बुलायेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन की नोटिस और कार्यक्रम के साथ-साथ सभापति उप-सभापति या प्रतिनिधियों के निर्वाचन का दिनांक, कार्यक्रम भी सूचित करेगा और वह स्थान भी विनिर्दिष्ट करेगा जहॉ ऐसा निर्वाचन होगा।

(3) 2[The elected member of the committee of management shall elect the chairman and other office-bearers from amongst themselves

(ii) प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्य अन्य सहकारी समिति के जिसकी वह समिति सदस्य हो, सामान्य निकाय में समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन सामान्य निकाय के अर्ह सदस्यों में से करेंगे।

3 [Provided that where in any general body of a milk producers society another milk producers society is to be represented, such society shall be represented only through its Chairman who fulfils the qualification of the delegate under the bye-laws of the former society and such person

shall exercise his right of vote according to the be-laws of the former society

(4) नियम 442 से 444 में निर्धारित प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित सभापति, उप-सभापति या प्रतिनिधियो के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होगी।

444 ग.(1) किसी सहकारी समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध मे, सिवाय निम्नलिखित आधार के मध्यस्थ द्वारा या अन्य प्रकार से आपत्ति नही की जा सकेगी -

(क) निर्वाचन में भ्रष्टाचार, रिश्वत या अनुचित प्रभाव का प्रयोग होने के कारण यह निष्पक्ष न हुआ हो, या

(ख) निर्वाचन परिणाम पर निम्नलिखित कारणो से सारवान् प्रभाव पड़ा हो -

(1) किसी नाम-निर्देशन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार करना या अस्वीकार करना, या

(2) मत को अनुचित रूप से ग्रहण करना या ग्रहण करने से इन्कार करना या रद्द करना या,

(3) अधिनियम, नियम या समिति की उप-विधियों के उपबन्धों का अनुपालन करने में घोर चूक करना।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयाजनार्थ भ्रष्टाचार, रिश्वत या अनुचित प्रभाव के वही अर्थ होगे, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के अधीन प्रत्येक के लिये दिये गये है।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धित कोई विवाद निर्वाचन परिणाम की घोषणा के दिनांक से पैतालीस दिन के भीतर व्यथित पक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा।

1. अधिसूचना संख्या 3815/सी0-1-77-7(2), 1977 दिनांक 24 दिसम्बर 1977 के द्वारा

बढ़ाये गये।

2. Subs by Noti. No 1172/XII-Dec.VI-4(81) 86 dated 20th June 1988, Published in U.P. Gazette Extra Part 4 Sec.(Kha) dated 20.06.1988

3.Ins. by Noti. No 1172/XII-Dec.VI-4(81) 86 dated 20th June 1988, Published in U.P. Gazette Extra Part 4 Sec.(Kha) dated 20.06.1988

444घ. इस नियमावली में दिये गये किसी सहकारी समिति या किसी वर्ग या वर्गो की सहकारी समितियों के निर्वाचन से सम्बन्धित उपबन्ध ऐसी समिति की उपविधियों के उपबन्धो के होते हुए भी सहकारी समिति के निर्वाचन के संचालन के सम्बन्ध में लागू होंगे।